उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 98/2020/2243/छप्पन-2020-15/2010
लखनऊ, दिनांक: 29 दिसम्बर, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ मे शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:-08/2018/165/छप्पन-18-24/2017, दिनांक 17 जनवरी, 2018 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सरोज, प्रवक्ता (मैकेनिकल) के पद पर नियत मासिक पारिश्रमिक रुपये 45,600/- (रूपये पैतालीस हजार छ: सौ मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। श्री जितेन्द्र कुमार सरोज द्वारा दिनांक 19 जनवरी, 2018 के पूर्वाह्न में अपना कार्यभार ग्रहण किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 18 जनवरी, 2020 को समाप्त होने के दृष्टिगत कार्यालय ज्ञाप संख्या:102/2019/2149/छप्पन-2019-15/2010 दिनांक 13 नवम्बर, 2019 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार सरोज की संविदा अवधि दिनांक 19 जनवरी, 2020 से आगामी 01 वर्ष के लिए बढ़ायी गई थी, जो दिनांक 18 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रही है।

2- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ के प्रस्ताव दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 पर सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में प्रवक्ता (मैकेनिकल) के पद पर कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार सरोज की संविदा अवधि दिनांक 19 जनवरी, 2021 से आगामी 01 वर्ष (अर्थात् 18 जनवरी, 2022 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 52,788/- (रूपए बावन हजार सात सौ अठ्ठासी मात्र) एवं अनुमन्य पारिश्रमिक वृद्धि (यथा समय) पर बढ़ाए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- श्री जितेन्द्र कुमार सरोज की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत जारी रहेंगी।

4- श्री जितेन्द्र कुमार सरोज से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एक सप्ताह में शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

श्री जितेन्द्र कुमार सरोज,
प्रवक्ता (मैकेनिकल),
एयरोनाटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 98/2020/2243 (1)/छप्पन-2020-15/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे श्री जितेन्द्र कुमार सरोज, प्रवक्ता (मैकेनिकल) से निर्धारित प्रपत्र पर पुन: अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।